कार्यालय आदेश संख्या– /2023

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के पत्र दिनांकितः 06 नवम्बर, 2023 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पत्र संख्याः 6334/U.H.C./Admin.B, दिनांकित 21 नवम्बर, 2023 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि जिला न्यायालय में एक **'अभिगम्यता समिति'** (Accessibility Committee) का गठन किया जाये। यह समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure for Preparing Accessible Court Documents) के अनुसार न्यायालय में आने वाले प्रत्येक दिव्यांग अधिवक्ता, न्यायाधीश, वादकारी आदि जो किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने में अथवा वाद दाखिल करने में कठिनाई का सामना करते हों की न्यायालय तक यथासम्भव सुगम्य पहुॅच को सुनिश्चित करेगी।

उक्त सन्दर्भित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure for Preparing Accessible Court Documents) के पैरा–32 के अनुसार जिला न्यायालय में प्रस्तावित **'अभिगम्यता समिति'** की जो संरचना निर्देशित की गई है वह निम्नानुसार हैः–

1– समिति में एक सदस्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रेणी के न्यायिक अधिकारी,
2– समिति में एक सदस्य सीनियर डिविजन श्रेणी के न्यायिक अधिकारी,
3– समिति में एक सदस्य जिला बार संघ को कोई एक अधिवक्ता,
4– समिति में एक सदस्य जिला सिस्टम अधिकारी/सिस्टम सहायक/एडमिनिस्ट्रेटर तथा
5– निर्देशानुसार, समिति में एक या दो सदस्यों को दिव्यांगजन श्रेणी के व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिला न्यायालय चम्पावत में आने वाले अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण में कोई भी दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं आता है और न ही जिला न्यायालय चम्पावत में किसी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रेणी के न्यायिक अधिकारी का कोई पद सृजित है, जिस कारण समिति में इस श्रेणी के सदस्यों को सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय चम्पावत हेतु 'अभिगम्यता समिति' का गठन अग्रिम आदेश तक निम्नानुसार किया जाता हैः–

1– **श्री अरूण वोहरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत। (अध्यक्ष)**
2– श्री हेमन्त सिंह, सिविल जज (सीनिसर डिविजन), चम्पावत। (सदस्य)

3— श्री दीपक जोशी, नामिका अधिवक्ता/सदस्य जिला बार संघ, चम्पावत। (सदस्य)

4— श्री प्रदीप जाशी, सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय चम्पावत। (सदस्य)

5— अग्रिम आदेश तक रिक्त छोड़ा जाता है। (सदस्य)

उक्तानुसार गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई—समिति द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure for Preparing Accessible Court Documents) के अनुसार न्यायालय में आने वाले प्रत्येक दिव्यांग अधिवक्ता, न्यायाधीश, वादकारी आदि जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने में अथवा वाद दाखिल करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करते हों, उनकी न्यायालय तक यथासम्भव सुगम्य पहुँच को सुनिश्चित करेगी।

सिस्टम सहायक को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें साथ ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह समिति के गठन की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार आदेश समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

दिनांकः 22 नवम्बर, 2023

(कहकशा खान)
जनपद न्यायाधीश,
चम्पावत।

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, चम्पावत

पत्रांकः /एक—20—2021, दिनांकः 22 नवम्बर, 2023।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः—

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यालयय उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
3. सिविल जज (सीनियर डिविजन), चम्पावत।
4. श्री दीपक जोशी, नामिका अधिवक्ता/सदस्य जिला बार संघ, चम्पावत।
5. श्री प्रदीप जाशी, सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय चम्पावत।
6. अध्यक्ष, जिला बार संघ, चम्पावत।
7. सम्बंधित पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।

आदेशानुसार अग्रसारित—

(महेन्द्र सिंह राणा)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जजशिप चम्पावत।